© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

वैदिक काल में नारी–अधिकार

डॉ0 ऋतु शुक्ला
असि0प्रो0 संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय
तालबेहट,ललितपुर (उ0प्र0)

प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम काल अर्थात् वैदिक काल में नारी, पुरुष वर्ग के साथ समान रूप से समाज के अभ्युत्थान, उत्कर्ष एवं परिष्कार में सहायक थी। अतएव वैदिक संहिता काल को नारी की स्थिति का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नारी की शक्तियों को पूर्णरूपेण विकसित करने हेतु जितनी सुविधाएँ, सुअवसर एवं सुसाधन वैदिक युग में प्रदत्त थे उतना आज के युग में मानव कल्पना से परे हैं। शरीर में नाड़ी की भाँति समाज में नारी महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी थी।[1] तत्कालीन नारी अपने ज्ञानदायिनी, ऐश्वर्यप्रदायिनी एवं शक्तिस्वरूपिणी सभी रूपों में दृष्टिगोचर होती है। विधाता की सर्वोत्तम परिकल्पना नारी का सृष्टि के विकास क्रम में प्रभूत योगदान है। वृहदारण्यकोपनिषद् में स्त्री को सृष्टि की रिक्तता को पूर्ण करने वाली कहा गया है– **"अयमाकाशः स्त्रिया पूर्यते।"**[2] ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा की संज्ञा से विभूषित किया गया है– **"स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ।"**[3]

पुरुष के साथ नारी की समता अर्धांगिनी शब्द से भली भाँति व्यक्त होती है। 'दंपत्ति' शब्द भी नारी एवं पुरुष के समान रूप से स्वामी होने का संकेतक है। वैदिक साहित्य में वर्णित नारी एवं पुरुष की उत्पत्ति की कथा उनके मध्य समत्व भाव की द्योतिका है।[4]

डॉ0 राधाकुमुद मुकर्जी ने भी स्व अध्ययन के आधार पर इस तथ्य से सहमति प्रकट की है कि ऋग्वैदिककाल में नारी पुरुष के समक्ष बराबर का स्थान रखती थी।[5]

ऋग्वैदिक काल में कन्या समाज में पुत्र की ही भाँति पर्याप्त रूप से समादृत थी, जिसका प्रमाण हमें एक ऋग्वैदिक मन्त्र से प्राप्त होता है, जिसमें दंपत्ति अपने पुत्र–पुत्रियों के दीर्घायु होने की कामना करता है।[6] अन्यत्र भी माता–पिता के वक्षः स्थल पर लेटी हुई अबोध कन्याओं का वर्णन प्राप्त होता है, जो कन्याओं की प्रियता का साक्षी है।[7] यद्यपि कहीं–कहीं पर अवश्य कन्या के प्रति उदासीन दृष्टिकोण प्राप्त होता है–यथा अथर्वसंहिता[8] तथा ऐतरेय ब्राह्मण[9] तथापि इन अल्प संकेतों से कन्या के प्रति हेय दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं होती। अपितु वृहदारण्यकोपनिषद् में विदुषी पुत्री की प्राप्ति हेतु कामना की गई है[10] तथा उसके निमित्त पूजा–पद्धति का भी संकेत है।

वैदिक काल में कन्या पुत्र की भाँति समान शिक्षा–दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखती थी। शिक्षा के प्रारम्भ से पूर्व पुत्री को भी उपनयन संस्कार से संस्कारित कर अध्ययन करने का अधिकारी बनाया जाता था।

वे गुरुकुल में रहकर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यज्ञोपवीत, मौञ्जी, मेखला तथा वल्कल वस्त्र धारण करती हुई शिक्षा प्राप्त करती थीं। **यमस्मृति** में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है –

पुराकल्पे कुमारीणां मौञ्जीबन्धमिष्यते।
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा।।[11]

इस निमित्त यजुर्वेद में कन्याओं को सुशिक्षित करने हेतु उपदेश भी प्राप्त होता है।[12] अथर्ववेद में एक स्थान पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याओं द्वारा शिक्षा की परिसमाप्ति पर योग्य वर को प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है।[13] संहिताओं में यत्र–तत्र अनेक प्रमाण मिलते हैं, यथा बहवृची (संहिताओं के अधिकाधिक मन्त्रों की पण्डिता), कठी (कठ शाखा का अध्ययन करने वाली), आपिशला (आपिशलि के व्याकरण की अध्ययनकर्त्री) इत्यादि जिससे नारी द्वारा उच्च वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि होती है। वेद ने स्त्री को **'चतुष्कपर्दा'**[14] अर्थात् धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष – इन चार तत्वों की ज्ञाता अथवा चतुष्कोण वेदी की निर्माण प्रक्रिया अर्थात् यज्ञ के गूढ़ ज्ञान को समझाने वाली कहा है।

वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त कन्या युद्धविद्या, परा एवम् अपरा विद्याओं, गणित, शिल्प, नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी थीं। वैदिक सूक्तों में 'विष्पला, वध्रिमती, मुद्गलानी[15] आदि महिला योद्धाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में नृत्य–गीत में कुशल नारियों का वर्णन भी मिलता है।[16,]

वैदिक काल में नारी एवं पुरुष दोनों का संस्कारों से संस्कृत होना आवश्यक था। कतिपय संस्कार जो आज मात्र पुरुष वर्ग के लिए ही आरक्षित हो गये हैं, उस काल में नारियों के लिए भी विधेय थे। कन्या की शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण उनका उपनयन संस्कार से संस्कारित होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था। कन्याएँ यज्ञोपवीत धारण कर ज्ञानार्जन हेतु गुरुकुलों में निवास करती थीं। यज्ञोपवीता नारी का उल्लेख ऋग्वेद संहिता[17] में प्राप्त होता है। अथर्ववेद संहिता भी नारी के उपनयन एवं वेदाध्ययन के अधिकार का समर्थन करती है।

वैदिक काल में बौद्धिक क्षेत्र में नारी की उत्कृष्ट स्थिति अनेक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होती है। तत्कालीन अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। ऋषियों की भाँति ऋषि कन्याएँ भी ऋचाओं का निर्माण करती हुई दृष्टिगत होती हैं जो इस तथ्य का पोषक है कि नारियों को वेदमन्त्रों के अध्ययन एवं सृजन से विरत नहीं रखा जाता था। वैदिक काल में स्त्री जीवनपर्यन्त नैष्ठिक जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मवादिनी रहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थी। उस काल में स्त्रियों के दो भेद प्राप्त होते हैं – **ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवाह[18]।** सद्योवाह वह नारियाँ थीं जो अपने ब्रह्मचर्याश्रम पर्यन्त विद्या ग्रहण करने तथा वेदाध्ययन करने के लिए अधिकृत थीं ताकि विवाहोपरान्त वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार एवं पूजा–पाठ सम्पन्न करके अपना दायित्व पूर्ण कर सकें।

ब्रह्मवादिनी नारियाँ शिक्षा के सर्वोच्च शिखर पर जाने हेतु स्वतंत्र थीं। वे वैदिक ऋचाओं के अध्ययन के साथ–साथ मन्त्र–दर्शन, ऋचा–सृजन, मीमांसा जैसे गूढ़ विषयों के अध्ययन हेतु अपना जीवन समर्पित करती थीं। ऋषिकाओं की पदवी नारी समाज के लिए सुलभ थी क्योंकि वैदिक संहिताकाल में मन्त्रद्रष्ट्री नारियाँ यथा अदिति, इन्द्राणी, लोपामुद्रा, सिकता–निवावरी, जुहू, सूर्या–सावित्री, रोमशा–कक्षीवान्, वाक्–आम्भृणी, शची–पौलोमी, शाश्वती–आंगिरसी, घोषा–काक्षीवती, श्रद्धा–कामायनी, मैत्रेयी इत्यादि का उल्लेख प्राप्त होता है जिनके द्वारा विभिन्न ऋचाएँ साक्षात्कृत हैं। सम्यकरूपेण शिक्षित नारियाँ पुरुषों की भाँति अध्यापन कार्य भी करते हुए अध्यापिका, आचार्य, उपाध्याया, उपाध्यायी आदि पदों को सुशोभित करती थीं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता एवं समान अधिकार प्राप्त थे। श्री पी0एच0 प्रभु[19] एंव श्री पी0सी0 धर्मा[20] ने भी स्व अध्ययन के आधार पर इस तथ्य के प्रति सहमति प्रकट की है।

वैदिक संहिताकाल में चूँकि नारियाँ वेदाध्ययन के लिए स्वतंत्र थीं अतः उन्हें पुरुष के समान याज्ञिक अधिकार प्राप्त थे। अथर्ववेद में एक स्थान पर नारी को यज्ञ में भाग लेने, यज्ञ करने तथा दूसरों को यज्ञ कराने के लिए अधिकृत किया गया है।[21] इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित अनुष्ठानों के विवरण प्राप्त होते हैं।[22] ऋग्वेद के दशम मण्डल का 114 वाँ सूक्त भी नारी के यज्ञ करने के जन्मसिद्ध अधिकार की पुष्टि करता है। **तैत्तिरीय ब्राह्मण** में कहा गया है कि गृहस्थ, पत्नी के बिना अकेले यज्ञ करने का अधिकार नहीं है –

अयज्ञियों वा एषः योऽपत्नीकः।[23]

पत्नी के अभाव में यज्ञानुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता था पति द्वारा दी गयी आहुति देवताओं द्वारा स्वीकार नहीं की जाती थी। अतः धार्मिक कर्मकाण्डों एवम् अनुष्ठानों को सम्पादित करने का भी नारी को पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

विवाह के क्षेत्र में भी नारी सशक्त थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। कन्याओं का विवाह परिपक्वावस्था में होता था तथा वे विवाह के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि उस समय विवाह योग्य किसी भी युवती को अपने मनोनुकूल वर चुनने की स्वतंत्रता थी।[24]

वेद में लिखा है – **ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।**[25] अर्थात् पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कन्या शिक्षा ग्रहण करती हुयी विवाह करे। श्री मधुशास्त्री ने भी अपने अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की है।[26] क्षत्रिय समाज में स्वयंवर[27] की प्रथा प्रचलित थी, जिससे यह ज्ञात होता है कि कन्या का विवाह प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने के पश्चात् होता था जब वे इस निर्णायक क्षेत्र में निर्णय लेने में सक्षम होती थी। ऋक् संहिता[28] के एक मन्त्र के सूक्ष्मानुशीलन से यह ज्ञात होता है कि विवाह के समय वधू पूर्ण परिपक्व एवं विकसित होती थी। वैदिक समाज में दो पूर्णतया विकसित व्यक्तियों के सम्बन्ध को विवाह की संज्ञा दी जाती थी[29]। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में अन्तर्जातीय विवाह[30] के संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह सभी दृष्टान्त संहिता काल में विवाह सम्बन्धी स्वतंत्र विचारधारा के द्योतक हैं।

वैदिक काल में पुनर्विवाह[31] अथवा विधवा–विवाह के संकेत प्राप्त होते हैं। ऋक् संहिता में विधवा स्त्री के विषय में कहा गया है कि वह अपने मृत पति को छोड़कर भावी पति को प्राप्त करे।[32] अथर्वसंहिता में (9.5. 27–28) में भी किन्हीं स्थानों पर पुनर्विवाह अथवा विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है।[33] ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर (ऋ0 1.124.7, 4.3.2, 10.71.4) एकपत्नीव्रत की प्रथा के प्राप्त दृष्टान्तों से भी नारी की सशक्त स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

तत्कालीन समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग का तात्पर्य है कि निःसन्तान पत्नी अथवा विधवा स्त्री का पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर अथवा पूर्व निर्धारित पुरुष के साथ नियुक्त होना। नियोग के संकेत ऋग्वेद संहिता[34] में अनके स्थलों पर प्राप्त होते हैं जो स्त्रियों के प्रति अत्यन्त उदार दृष्टिकोण के परिचायक हैं।

संहिता काल में नारी सम्मान को आहत करने वाली सती कुप्रथा का अभाव था। पर्दा अथवा अवगुण्ठन का प्रचलन नहीं था। स्त्रियाँ पर्दे से रहित होकर स्वतन्त्रतापूर्वक सबसे मेल जोल बढ़ा सकती थीं। वैदिक काल में सह शिक्षा तथा कन्याओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति की स्वतंत्रता इस तथ्य को प्रमाणित करती है क्योंकि यदि पर्दा प्रथा होती तो कन्याएँ उच्च स्तर पर शिक्षित नहीं हो पाती। एक स्थान पर सौभाग्यशाली नववधू को आशीर्वाद प्राप्ति हेतु सभी आगतों को दिखाये जाने का उल्लेख मिलता है।[35] तद्युगीन स्त्रियाँ विदथ (सभा तथा समिति) एवं समन (उत्सव और मेला) में सम्मिलित होती थीं तथा अपने विचारों का आदान–प्रदान करती थीं।[36] एक स्थान[37] पर स्त्री के लिए 'सभावती' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे उसके सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने का संकेत प्राप्त होता है। अनेक ऋषिकाओं के विवरण जो ऋषियों की भाँति वेद की शिक्षा देती थी संहिता काल में इस प्रथा के अभाव को सूचित करता है। अथर्ववेद[38] में किन्हीं स्थलों पर नारी द्वारा अपने सम्पत्ति विषयक अधिकार हेतु न्यायालय जाने का वर्णन है। अतः वैदिक युग में पर्दा प्रथा के अभाव के कारण नारी अपनी अबाधित प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हुई दिखाई पड़ती है।

आर्थिक क्षेत्र में भी नारी सम्पन्न एवं सामर्थ्यवान थी। उसे सम्पत्ति सम्बन्धी अनेक अधिकार प्राप्त थे। स्त्री का अपने पति की सम्पत्ति में सह–स्वामित्व था। पति द्वारा विवाह के समय यह शपथ ली जाती थी कि आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार उसकी पत्नी के अधिकार एवं हित का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।[39] नारी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के लिए स्त्रीधन की व्यवस्था थी। विवाह के समय स्त्री को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तुएँ जिस पर स्त्री का एकमात्र अधिकार होता था स्त्रीधन कहलाता है। इस सम्पत्ति को **'पारिणाह्य'** कहा जाता था जिसका संकेत तैत्तिरीय संहिता (6.2.1.1) में प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है – **"पत्नी वै पारिणाह्यस्य ईशः।"** अर्थात् भेंट के रूप में नारी को प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर नारी का अधिकार था।

अथर्ववेद में विधवा स्त्री हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।[40] पुत्रियाँ पुत्र की भाँति पिता की सम्पत्ति में अधिकार रखती थीं।[41] अभ्रातृ कन्या तो अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी मानी जाती थी।[42] वह कन्याएँ जो अविवाहित रहकर अपने पिता के घर में जीवन यापन करती थीं उनके लिए भी

पिता की सम्पत्ति में अधिकार हेतु प्रार्थनाएँ ऋक् संहिता[43] एवम् अथर्वसंहिता[44] में प्राप्त होती है। यह सभी संकेत नारी की आर्थिक सबलता को इंगित करते हैं। उस युग की नारी न्यायकत्री के रूप में दृष्टिगत होती है जिसकी पुष्टि ऋग्वेद संहिता[45] के एक मन्त्र से होती है जिसमें नारी के कुशल न्याय द्वारा राजप्रबन्ध में सुस्थिरता का प्रतिपादन हुआ है। ऋक् संहिता के दशम मण्डल के 102 वे सूक्त[46] में महर्षि मुद्गल की पत्नी मुद्गलानी द्वारा समरांगण में उनके साथ जाने का वर्णन प्राप्त होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि नारी ने युद्धभूमि में भी अपने शौर्य एवं पराक्रम से पुरुष समुदाय को अभिभूत कर दिया है।

इसके अतिरिक्त वैदिक कालीन नारी संन्यासिनी के रूप में, विधान–निर्मात्री के रूप में, दौत्य कर्म कर्त्री के रूप में, ज्योतिर्विद् प्रशिक्षिका, भूगर्भविद् आदि अनेक रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि तद्युगीन नारी अत्यन्त सशक्त एवं प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम थी।

अतः संहिता कालीन नारी की स्थिति का गहन आलोचन करने के पश्चात् यह दृष्टिगत होता है कि तत्कालीन नारी अत्यन्त उत्कृष्ट एवं सम्माननीय स्थान पर आसीन थी। वह पुरुष के साथ समत्त्व भाव से जीवन यापन करते हुए उसके लिए सदैव से प्रेरणा एवं शक्ति का स्रोत थी। तत्कालीन समाज में नारी के सहनशीलता, सौम्यता, सौष्ठवता आदि गुणों की भूरि–भूरि प्रशंसा हुई है। नारी को अनेक महिमापूर्ण विशेषणों से मण्डित किया गया है।[47] उसे अमृतरसदायिनी कहा गया है तथा मधुर एवं सत्य वचनों की प्रेरक तथा सद्सम्मति से सम्पन्न बताया गया है।[48] उसकी महत्ता ऋग्वेद के दशम मण्डल के 85 वें सूक्त से प्रतिपादित होती है जिसमें उसे सम्राज्ञी जैसे सम्मान–सूचक पद से अलंकृत किया गया है।[49] स्त्री के बिना गृह को गृह नहीं कहा जा सकता –

गृहिणी गृहमित्याहु न गृहं गृहिणी बिना।[50]

अतः संहिता कालीन नारी उच्चतम प्रतिष्ठा की अधिष्ठात्री तथा विभिन्न अधिकारों की अधिकारिणी थी। वैदिक युग में नारी एवं पुरुष दोनों समत्त्व भाव के कारण अर्द्धनारीश्वरत्व की संकल्पना को साकार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं।

सन्दर्भः–

1. डॉ0 मालती शर्मा– "वैदिक संहिताओं में नारी", पृष्ठ 1

2. वृहदारण्यकोपनिषद् – 1.4.3

3. सोती वीरेन्द्र चन्द्र, – "भारतीय संस्कृति के मूल तत्व", पृष्ठ 83

4. शतपथ ब्राह्मण–14, 4, 2, 1, 5

"आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषः विधः। सोऽहमस्मि इत्यग्रे व्याहरत् ततः अहं नामाभवत् स वै न रेमे। तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्। स हैतावानस यथा स्त्रीपुंसासौ संपरिव्यक्तौ। स इममात्मानं दैधापतयत्। ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्।"

5. "The Rigveda shows abundant evidence pointing to the fact that women were fully the equals of men as regards access to and capacity for the highest knowledge even the knowledge of the absolute or Brahma" – Radha Kumud Mukherjee.

- Quoted in, H.C. Upadhayay-The status of women in India"-p-39

6. ऋग्वेद – 8.31.8

7. ऋग्वेद – 3.31.1–2

8. अथर्व 6.11.3 – "प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीकलृपत्।
स्त्रेषूयमन्यत्र दधत्पुमांसमु दधदिह।।"

9. ऐतरेय ब्राह्मण – 33.1 – "कृपणं हि दुहिता ज्योतिर्हि पुत्रः"।

10. वृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.18 अथ यः इच्छेद दुहिता में पंडिता जायेत, तिलौदनो पाचयित्वा अश्नीयातामिति।"

11. यम–वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश, भाग 1–2, पृ0 402

12. यजुर्वेद – 12.53 'चिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद् ध्रुवा सीद।'
परिचिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद् ध्रुवा सीद।।"

13. अथर्ववेद 11.5.18 – 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।।'

14. ऋग्वेद 10.114.3 – "चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतपतीका वयुनानि वस्ते।
तस्यां सुपर्णा वृषणा निषेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागधेयम्।।"

15. ऋक् संहिता 10.102

16. ऋग्वेद 1.92.4

'विमल चन्द्र पाण्डेय – 'प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास', पृ0111 से उद्धृत।

17. ऋग्वेद 10.109.4

'देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः।

भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धां दधाति परमें व्योमन्।।"

18. हारीत – वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश, भाग 1–2, पृ0 402

"दिविधाः स्त्रियों ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्यश्च।"

तत्र ब्रह्मवादिनी नामग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचर्येति।।

सूद्योवधूनां तूपस्थिते विवाहे कथंचिदुपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः।

19. P.H. Prabhu – 'Hindu Social Organization' p-28

'So far as education was concerned the position of women was generally not unequal to that of men.

Women had similar education as that of men. She took part in philosophic debates like men.''

20. Dr. P.C. Dharma – 'Status of Women in Vedic Age'

Quoted in Journal of Indian History, 1948

"They were educated in spiritual and the secular subjects. The secular side of their education consisted of fine arts and military science. There were lady Risis in Rigvedic times who composed verses, performed sacrifices, offered hymns to the Gods and won glory and fame, eg. surya, saci, sarparanj; mamta etc."

21. अथर्ववेद 6.122.5

"शुद्धा पूता योषितो यज्ञियों इमा ब्राह्माणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि।

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरूत्वान्त्स ददातुं तन्में।।"

22. ऋग्वेद 1.72.5/17/संजनाना उप सीदन्नभिज्ञु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्।

रिरिक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणः।।"

23. तैत्तिरीय ब्राह्मण – 3/3/3/11 (भट्टभास्कर मिश्र टीका)

24. ऋग्वेद 10.27.12

"कियती योषामर्यतो वघ्योंः परिप्रीता पन्यसा वार्येण।

भद्रा वधूर्भवति यत् सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्।।"

25. अथर्ववेद 11.5.18

26. Madhu Shastri – "Status of Hindu Women" p-27

"There are references in the Rigveda Samhita (X-27.12) which show that when brides were of 16 or 17 they had more or less effective voice in the selection of their life Partners."

27. ऋग्वेद 10.27.12

28. ऋग्वेद 10.22.4–6

29. वैदिक इण्डेक्स, भाग पृ0 536–537

30. (क) ऋग्वेद 1.112.19

विमल चन्द्र पाण्डेय – "प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ0 110"

(ख) ऋग्वेद 5.61.17–19

(ग) ऋग्वेद 10.63.1

31. ऋग्वेद 10.85.41

32. ऋग्वेद 10.18.8 – "उदीर्ष्वं नार्यभि जीवलोंकं गतासुमेतमुप शेष एहि।

हस्तग्रामस्य द्विधिषोस्तवेदं पर्त्युजभित्वमभि संबभूव।।"

33. अथर्ववेद 9.5.27–28 "या पूर्व पतिं वित्वाथान्यं विन्दतेऽपरम्। पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः।। समानलोको भवति पुनभुर्वाऽपरः पतिः। योउजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति।।"

34. ऋग्वेद 1.167.5–6 (क) जोषद्यदोमसुर्या सचध्यै विषितस्तुका रोदसी नृमणाः।

आसूर्ये व विधतो रथं गात्वेषप्रतीकां नभसो नेत्या।।"

(ख) आस्थापयन्तयुवतिं युवानः शुभे निमिश्चलां विदथेषु पज्राम्।

35. ऋग्वेद 10.85.33, "सुमंगलरियं वधूरिमां समेत पश्यत। सौभाग्यमस्यै दस्वायाथास्वितं परतेन।।"

36. अथर्ववेद 14.1.20 – "गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि।"

37. ऋग्वेद 1.167.3. "मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः।"

गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विदथ्येव सं वाक्।।

38. अथर्ववेद 2.36.1, 'जुष्टा वरेयु समनेषु वल्गुः'।

39. अथर्ववेद 10.30.5, 12.3.14

Madhu Shastri – " Status of Hindu Women", p-35 से उद्धृत।

40. अथर्ववेद 18.3.1

इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उपत्व मर्त्य प्रेतम्।

धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहिं।।"

41. ऋग्वेद 2.17.7

"अमाजूरिव पित्रों सचा सती समानादा सदसत्वामिये भगम्।
कृधि प्रकेतमुप मास्या भर दद्धि भागं तन्वोऽयेन मामहः।।"

42. ऋग्वेद 1.124.7 "अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचो गर्तारूगिव सनये धनानाम्।"

43. ऋग्वेद 10.85.13 तथा 38

44. अथर्ववेद 14.1.13

45. ऋग्वेद 4.22.7 "अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः।
यत्सीमनु प्र मुचो बद्वधाना दीर्घामनु प्रसितिं स्यन्दयध्यै।।"

46. ऋग्वेद 10.102.2 – "रथीरभून्मुद्गलानी गविष्टौ भरे।"

47. यजुर्वेद 8.43, "इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति।
एता तेऽघ्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात्।।

48. ऋग्वेद 1.3.11. "चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्। यज्ञं दधे सरस्वती।

49. ऋग्वेद 10.85.46 "सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु।।"

50. सोती वीरेन्द्र चन्द्र – "भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, पृष्ठ 88"